

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
आदेश

पी०-१/०४-०९-२९-२०२२

पटना, दिनांक ०७.१०.२०२२


पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि तथा अन्य पदाधिकारियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय पर्सदों से प्राप्त मनोनयन के समीक्षोपरान्त महानिदेशक पर्सद की दि०-२९.०९.२०२२ एवं ३०.०९.२०२२ को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों के, उनके नाम के सामने स्तम्भ-३ में अंकित कारणों के आधार पर, ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ को लंबित/अयोग्य/विचारण की परिधि से बाहर रखा जाता है :-

क्रम सं०	पद एवं नाम जन्मतिथि वर्तमान पदस्थापन	ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ परिधि से बाहर/अयोग्य रखने का कारण
1	2	3
1	पु०नि० रंजय सिंह यादव/18.04.74/गया	देय तिथि के पूर्व स०अ०नि० एवं पु०अ०नि० में प्रोन्नत अतएव प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० देय नहीं
2	पु०नि० अरविन्द कुमार-२/०१.०१.६५ शेखपुरा	मनोनयन अपूर्ण। अतएव लंबित। संबंधित जिला क्षेत्रीय पर्सद के माध्यम से नवीन मनोनयन उपलब्ध करायें।
3	से०नि०पु०नि०, जगदीश दास/ १७.०१.४६/मधुबनी/३१.०१.०४	तृतीय ए०सी०पी० देय तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त अतएव पूर्व प्रदत्त तृतीय ए०सी०पी० रद्द।
4	सेवानिवृत्त प्रा०पु०नि० चमकलाल महतो ०१.०२.६०/बेगूसराय	मनोनयन अपूर्ण। अतएव लंबित। संबंधित जिला क्षेत्रीय पर्सद के माध्यम से नवीन मनोनयन उपलब्ध करायें।
5	से०नि० पु०नि० विजय चौधरी/ १८.१०.१९६१/निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना	सीतामढ़ी वि०का० सं०-१४/१० में घटना की तिथि अंकित नहीं होने के कारण द्वितीय वितीय उन्नयन की तिथि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अतएव लंबित। संबंधित जिला क्षेत्रीय पर्सद के माध्यम से नवीन मनोनयन उपलब्ध करायें।
6	से०नि० पु०नि० जय नारायण यादव/ ०३.०२.६१/विशेष शाखा	विचारण की परिधि से बाहर।
7	से०नि०पु०नि० नर्वदेश्वर सिंह चौहान/ ०७.०१.१९६१ नवगछिया	लंबित।
8	से०नि० पु०नि० मुकेश कुमार/०५.०१.१९६२/ अपराध अनुसंधान विभाग	नियुक्ति तिथि के संदर्भ में मनोनयन अस्पष्ट है। अतएव लंबित। संबंधित इकाई क्षेत्रीय पर्सद के माध्यम से नवीन मनोनयन उपलब्ध करायें।
9	से०नि०पु०नि० अतुल कुमार मिश्रा मधुबनी/१५.११.६०/ ३०.११.२०	नियुक्ति तिथि के संदर्भ में मनोनयन अस्पष्ट है। अतएव लंबित। संबंधित जिला क्षेत्रीय पर्सद के माध्यम से नवीन मनोनयन उपलब्ध करायें।
10	से०नि० पु०उपा० सुनील कुमार ०३.०१.६१	मनोनयन विहित प्रपत्र में अंकित नहीं किया गया है। अतएव लंबित।
11	से०नि० पु०अ०नि० उपेन्द्र कुमार ०८.०२.१९५२/अप० अनु० विभाग से०नि० २८.०२.२०१२	पी०टी०सी० अनुत्तीर्ण रहने के कारण अयोग्य।

क्रम सं०	पद एवं नाम जन्मतिथि वर्तमान पदस्थापन	ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ परिधि से बाहर/अयोग्य रखने का कारण
1	2	3
12	से०नि० पु०अ०नि० सत्येन्द्र कुमार/ 14.05.62/विशेष शाखा	विशेष शाखा, बिहार, पटना का पत्रांक-2708, दिनांक-01.09.2022 के आलोक में इनके विरुद्ध चंदौती थाना काण्ड सं-126/94 एवं बुनियादगंज थाना काण्ड सं-115/12 लंबित रहने के कारण पूर्व से प्रदत्त प्रथम, द्वितीय ए०सी०पी० तथा तृतीय एम०ए०सी०पी० रद्द।

2. उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों में से जिनका स्थानान्तरण इस क्रम में अन्यत्र हो चुका है, उनका नवपदस्थापन जिला/कार्यालय द्वारा अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार,


पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

ज्ञापांक- पी०-1/04-09-29-2022/.....613


पटना, दिनांक.....07.10.2022

प्रतिलिपि:-

1. सभी महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित)/पुलिस उप महानिरीक्षक (रेल सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

- निदेशानुसार सभी कार्यालय प्रधान उपरोक्त पदाधिकारियों के नाम के सामने अंकित त्रुटि का निराकरण कर वांछित दस्तावेज एवं नवीन मनोनयन आगामी महानिदेशक पर्वद की बैठक में विचारण हेतु उपलब्ध करायें।

4. प्रशाखा पदाधिकारी, एक्स०पी०/पी०-2 बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। एक्स०पी० प्रशाखा बिन्दु 10 पर अंकित मामले में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
5. आई०टी० मैनेजर, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना